Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed & Open Access) **Journal home page:** www.researchambition.com
ISSN: 2456-0146, Vol. 10, Issue-III, Nov. 2025

बालकों के विरूद्ध साईबर अपराधः एक सामाजिक–विधिक अध्ययन
(Cyber Crime Against Children: A Socio-Legal Study)

Diksha Taneja,[a*] **Dr. Ganesh Dubey** [b*]
[a]*Ph.D. Scholar (Law), Institute of Law (SOS), Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh, India.*
[b]*Professor & Dean, Faculty in Law, Institute of Law (SOS), Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh, India.*

KEYWORDS
साईबर अपराध; बाल संरक्षण; ऑनलाइन सुरक्षा; आईटी अधिनियम; पॉक्सो अधिनियम; साईबर बुलिंग; ऑनलाइन प्रलोभन; डिजिटल साक्षरता; सामाजिक–विधिक अध्ययन; इंटरनेट दुरुपयोग।

ABSTRACT
भारत में डिजिटल तकनीक के तीव्र विस्तार ने जहाँ बच्चों के लिए नई संभावनाएँ खोली हैं, वहीं उन्हें अनेक प्रकार के साईबर अपराधों के जोखिम से भी रूबरू किया है। प्रस्तुत शोध–लेख में बालकों के विरुद्ध होने वाले साईबर अपराधों का सामाजिक–विधिक अध्ययन किया गया है, जिसमें इन अपराधों की प्रकृति, कारण, प्रभाव तथा उपलब्ध कानूनी संरक्षण का विश्लेषण शामिल है। अध्ययन में साईबर बुलिंग, ऑनलाइन प्रलोभन, पहचान चोरी, यौन शोषण तथा हानिकारक डिजिटल सामग्री के संपर्क जैसे प्रमुख खतरों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिजिटल जागरूकता की कमी, अभिभावकीय निगरानी का अभाव, साथियों का दबाव और तकनीकी संवेदनशीलता जैसे सामाजिक–तकनीकी कारक बच्चों को अधिक असुरक्षित बनाते हैं।
विधिक परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012; तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं का परीक्षण किया गया है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रवर्तन तंत्र की सीमाएँ, जांच–संबंधी चुनौतियाँ और डिजिटल साक्षरता की कमी इस समस्या को और जटिल बनाती हैं। शोध का निष्कर्ष है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानून, तकनीकी सुरक्षा उपायों और व्यापक जन–जागरूकता कार्यक्रमों का संयोजन अत्यंत आवश्यक है।

परिचय

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने बच्चों की जीवनशैली, सीखने के तरीके और सामाजिक व्यवहार में व्यापक परिवर्तन लाए हैं। इंटरनेट आज शिक्षा, मनोरंजन और संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, किंतु इसके साथ ही बच्चों के समक्ष नए प्रकार के खतरे भी उभर कर आए हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार ने आधुनिक समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है, विशेषतः बच्चों को, जिनका प्रारम्भिक विकास अब आभासी वातावरण के साथ ही जुड़ गया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने बच्चों के सीखने, संवाद और मनोरंजन के तरीकों में व्यापक परिवर्तन किए हैं; परन्तु इसी के साथ साईबर अपराधों का खतरा भी अत्यधिक बढ़ा है। बालकों के प्रति होने वाले ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी, छलपूर्वक संपर्क, यौन शोषण, निजी जानकारी की चोरी और हानिकारक सामग्री के प्रसार जैसे अपराध आज एक गंभीर सामाजिक चुनौती के रूप में उभर रहे हैं।

>Corresponding author
***E-mail:** dikshataneja501@gmail.com (Diksha Taneja). https://orcid.org/0009-0000-2565-2580
DOI: https://doi.org/10.53724/ambition/v10n3.07
Received 18th Sep. 2025; Accepted 15th Oct. 2025
Available online 30th Nov. 2025
2456-0146 /© 2025 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

बच्चों की संवेदनशील आयु, तकनीकी जिज्ञासा तथा डिजिटल सतर्कता की कमी उन्हें साईबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बना देती है। कई बार अभिभावकों एवं शिक्षकों में भी डिजिटल जोखिमों को लेकर आवश्यक जागरूकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण समस्याएँ और भी जटिल हो जाती हैं। सामाजिक संरचना में बढ़ते डिजिटल अंतर, निगरानी तंत्र की कमी, तथा तकनीकी साधनों का अनियंत्रित उपयोग बच्चों की ऑनलाइन असुरक्षा को और बढ़ाता है।

विधिक दृष्टि से भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान उपलब्ध हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा पॉक्सो अधिनियम जैसे विधिक ढाँचे साईबर अपराधों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं।[1] तथापि, इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धता तथा पीड़ित पक्ष की पहचान गोपनीयता से सम्बंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इस संदर्भ में आवश्यक है कि साईबर अपराधों की प्रकृति, उनके सामाजिक कारणों, तथा मौजूदा विधिक व्यवस्थाओं का समग्र अध्ययन किया जाए, जिससे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए अधिक सशक्त और व्यावहारिक तंत्र विकसित किया जा सके।

शोध का उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य आधुनिक सूचना–प्रौद्योगिकी युग में बालकों के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराधों के सामाजिक कारणों एवं उनके विधिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तीव्र प्रसार ने जहाँ बालकों के ज्ञान और अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, अश्लील सामग्री, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग तथा यौन अपराधों जैसे गंभीर खतरों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया है।

इस शोध का उद्देश्य यह भी है कि बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों की प्रकृति, स्वरूप और प्रवृत्तियों का अध्ययन कर उनके सामाजिक प्रभावों, जैसे कि मानसिक तनाव, भय, आत्म–विश्वास में कमी एवं सामाजिक अलगाव को समझा जा सके। साथ ही, भारतीय विधिक व्यवस्था में इन अपराधों से निपटने हेतु उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं अन्य संबंधित कानूनों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना भी इस शोध का प्रमुख लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त, यह शोध बालकों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों एवं राज्य की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार सामाजिक जागरूकता, डिजिटल साक्षरता एवं सुदृढ़ कानून प्रवर्तन के माध्यम से बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है–

1. यह परिकल्पना की जाती है कि इंटरनेट एवं डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के कारण बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है।
2. यह माना जाता है कि सामाजिक जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता की कमी बालकों को साइबर अपराधों का आसान शिकार बनाती है।
3. यह परिकल्पना है कि भारत में बालकों के संरक्षण हेतु उपलब्ध विधिक प्रावधान सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त हैं, परंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन में व्यवहारिक बाधाएँ विद्यमान हैं।
4. यह भी माना जाता है कि यदि विधिक उपायों के साथ–साथ सामाजिक सहभागिता और संस्थागत निगरानी को सुदृढ़ किया जाए, तो बालकों के

विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

शोध–पद्धति

प्रस्तुत शोध "बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधः एक सामाजिक–विधिक अध्ययन" की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक शोध–पद्धति अपनाई गई है, जिससे विषय का समग्र एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सके।

- **अध्ययन का स्वरूप–** यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन में सामाजिक तथा विधिक दोनों दृष्टिकोणों को समाहित किया गया है। विधिक पक्ष के अंतर्गत प्रचलित कानूनों, अधिनियमों, न्यायिक निर्णयों एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन किया गया है, जबकि सामाजिक पक्ष में बालकों पर साइबर अपराधों के प्रभाव, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा जागरूकता की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का स्वरूप गुणात्मक है, जिसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया गया है।
- **डेटा संग्रह एवं विश्लेषण तकनीक–** शोध में द्वितीयक स्रोतों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। इनमें विधि–पुस्तकें, शोध–पत्रिकाएँ, सरकारी रिपोर्टें, न्यायालयीन निर्णय, अधिनियम एवं आधिकारिक वेबसाइटें सम्मिलित हैं। संकलित सामग्री का विश्लेषण विषयवस्तु–आधारित एवं तुलनात्मक विधि द्वारा किया गया है, ताकि निष्कर्ष तार्किक, प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण हो सकें।

सैद्धांतिक रूपरेखा

(1) साईबर अपराध की संकल्पना

साईबर अपराध वह अवैध कृत्य है जो कम्प्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क या किसी डिजिटल उपकरण का उपयोग करके किया जाता है। यह अपराध पारंपरिक अपराधों से भिन्न है क्योंकि इसमें भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आभासी मंचों, जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ई–मेल, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपराधी पीड़ित तक पहुँचता है। साईबर अपराध की संकल्पना मुख्यतः दो तत्वों पर आधारित होती है, प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग और डिजिटल माध्यम से होने वाली हानि।

सूचना–प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ने पहली बार भारत में साईबर अपराध को कानूनी पहचान प्रदान की। इसके अनुसार अनधिकृत पहुँच, डेटा–चोरी, ऑनलाइन उत्पीड़न, अश्लील सामग्री का प्रसार, पहचान–चोरी, तथा संचार माध्यमों के दुरुपयोग जैसे कृत्य दंडनीय माने जाते हैं। विद्वानों के अनुसार, साईबर अपराध केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक–विधिक चुनौती है क्योंकि डिजिटल दुनिया में अपराधी की पहचान सिद्ध करना, साक्ष्य सुरक्षित रखना तथा सीमा–पार अपराधों को नियंत्रित करना अधिक जटिल हो जाता है।[2]

(2) बालकों से जुड़े साईबर जोखिमों का स्वरूप

बच्चे डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक उपयोग के कारण एक विशिष्ट श्रेणी बनाते हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम होने के बावजूद मानसिक रूप से संवेदनशील होते हैं। इसी कारण वे साईबर जोखिमों के प्रति अधिक असुरक्षित माने जाते हैं। इन जोखिमों का स्वरूप बहुआयामी है–

- **साईबर बुलिंगः** ऑनलाइन अपमान, धमकी, मज़ाक उड़ाना, या सामाजिक बहिष्कार की धमकियाँ बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यह जोखिम लगातार डिजिटल संपर्क के कारण अत्यन्त व्यापक हुआ है।[3]

- **ऑनलाइन ग्रूमिंगः** कुछ व्यक्ति फर्जी पहचान के माध्यम से बच्चों का विश्वास हासिल करते हैं और बाद में उनका यौन–शोषण, ब्लैकमेल या शोषणकारी गतिविधियों में उपयोग करते हैं। यह जोखिम सोशल–नेटवर्किंग साइटों पर अधिक देखा जाता है।[4]
- **अश्लील या हानिकारक सामग्री का संपर्कः** इंटरनेट पर उपलब्ध अनियंत्रित सामग्री बच्चों को ऐसे दृश्य या विचारों से अवगत करा सकती है जो उनकी मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के अनुरूप नहीं होते। यह उनकी सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है।
- **पहचान–चोरी एवं डेटा–दुरुपयोगः** बच्चे ऑनलाइन गेम, ऐप्स या प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी अनजाने में साझा कर देते हैं, जिससे उनकी पहचान या डेटा अपराधियों के हाथों में जा सकता है। यह समस्या डिजिटल मार्केटिंग और डेटा–माइनिंग के युग में और गंभीर हो गई है।[5]
- **ऑनलाइन गेमिंग जोखिमः** नशे की तरह गेमिंग में डूब जाना, हिंसक गेमों का प्रभाव, या गेम के भीतर होने वाली आर्थिक ठगी बच्चों को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर प्रभावित करती है।

(3) बालकों के विरुद्ध प्रमुख साइबर अपराध

डिजिटल युग में इंटरनेट एवं सूचना–प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग ने जहाँ बालकों को शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं उन्हें अनेक प्रकार के साइबर अपराधों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया है। बालकों की मानसिक परिपक्वता की कमी, तकनीकी जिज्ञासा तथा सामाजिक अनुभवों के अभाव के कारण वे आसानी से साइबर अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। बालकों के विरुद्ध होने वाले प्रमुख साइबर अपराधों का विवरण निम्नलिखित है–

- **साइबर बुलिंग–** साइबर बुलिंग वह स्थिति है जिसमें किसी बालक को सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, ई–मेल या ऑनलाइन मंचों के माध्यम से बार–बार अपमानित, धमकाया या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इसमें अपमानजनक टिप्पणियाँ, झूठी अफवाहें फैलाना, निजी चित्रों या सूचनाओं का दुरुपयोग तथा ऑनलाइन बहिष्कार जैसे कृत्य सम्मिलित होते हैं। साइबर बुलिंग का प्रभाव बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ता है, जिससे उनमें भय, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी तथा कभी–कभी आत्मघाती प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।[6]
- **ऑनलाइन ग्रूमिंग एवं छलपूर्ण संपर्क–** ऑनलाइन ग्रूमिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अपराधी बालकों से इंटरनेट के माध्यम से मित्रता स्थापित कर धीरे–धीरे उनका विश्वास अर्जित करता है और बाद में उनका शोषण करता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एवं चौट रूम्स इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख माध्यम बन गए हैं। छलपूर्ण संपर्क के अंतर्गत अपराधी झूठी पहचान बनाकर बालकों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे वे अपने निजी विवरण साझा करने या अनुचित गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित हो जाते हैं।[7]
- **यौन शोषण एवं अश्लील सामग्री का प्रसार–** बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों में यौन शोषण एक अत्यंत गंभीर समस्या है। इसमें बाल अश्लील सामग्री का निर्माण, संग्रहण, प्रसारण तथा ऑनलाइन साझा करना शामिल है। कई बार बालकों को धमकाकर या बहला–फुसलाकर अश्लील चित्र या वीडियो तैयार कराए जाते हैं, जिनका उपयोग बाद में ब्लैकमेलिंग

के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अपराध न केवल बालकों की गरिमा का हनन करते हैं, बल्कि उनके मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर भी दीर्घकालिक दुष्प्रभाव डालते हैं।[8]

- **पहचान चोरी एवं वित्तीय धोखाधड़ी–** पहचान चोरी के अंतर्गत बालकों की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, फोटो, लॉग–इन विवरण या बैंक/डिजिटल वॉलेट से जुड़ी सूचनाओं का दुरुपयोग किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी वेबसाइट्स एवं लुभावने ऑफर्स के माध्यम से अपराधी बालकों को धोखे में डालकर वित्तीय धोखाधड़ी करते हैं। इससे न केवल आर्थिक क्षति होती है, बल्कि परिवार पर भी मानसिक और सामाजिक दबाव उत्पन्न होता है।[9]
- **हानिकारक सामग्री के संपर्क का जोखिम–** इंटरनेट पर उपलब्ध हिंसक, नशीली वस्तुओं से संबंधित, आत्म–हानि को प्रोत्साहित करने वाली अथवा घृणास्पद सामग्री बालकों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इस प्रकार की सामग्री के निरंतर संपर्क से बालकों के व्यवहार, सोच एवं नैतिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह उनके सामाजिक विकास को बाधित कर सकता है तथा असामान्य व्यवहार को जन्म दे सकता है।[10]

(4) सामाजिक आयाम

बालकों के विरुद्ध साइबर अपराध केवल तकनीकी या विधिक समस्या नहीं हैं, बल्कि उनका गहरा संबंध सामाजिक संरचना, पारिवारिक परिवेश तथा बालकों की मानसिक अवस्था से भी है। साइबर स्पेस में होने वाले अपराधों को समझने के लिए उनके सामाजिक आयामों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।

- **पारिवारिक एवं सामाजिक कारण–** परिवार बालक के सामाजिक करण की प्रथम इकाई होता है। वर्तमान समय में अभिभावकों की व्यस्त जीवनशैली, कार्य–दबाव तथा डिजिटल माध्यमों की सीमित समझ के कारण बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर समुचित निगरानी नहीं हो पाती। संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थान पर एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति ने भी बच्चों में भावनात्मक अकेलापन बढ़ाया है, जिससे वे ऑनलाइन संबंधों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। सामाजिक स्तर पर नैतिक मूल्यों में क्षरण, संवाद की कमी तथा अनुशासनहीन डिजिटल उपयोग ने बालकों को साइबर अपराधों के प्रति अधिक असुरक्षित बना दिया है।[11]
- **डिजिटल साक्षरता एवं जागरूकता की स्थिति–** डिजिटल साक्षरता का अभाव बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों का एक प्रमुख कारण है। अधिकांश बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग तो करते हैं, परंतु उसकी सुरक्षा, गोपनीयता और संभावित जोखिमों के प्रति जागरूक नहीं होते। वहीं, कई अभिभावक और शिक्षक भी तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण बच्चों को उचित मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप बच्चे अनजाने में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं, जो अपराधियों द्वारा दुरुपयोग की जाती है।[12]
- **सोशल मीडिया और तकनीकी प्लेटफॉर्म की भूमिका–** सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्म्स ने संवाद को सरल बनाया है, किंतु इनके अनियंत्रित उपयोग ने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है। फर्जी प्रोफाइल, गोपनीयता नीतियों की जटिलता तथा अपर्याप्त निगरानी तंत्र बालकों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग और अश्लील सामग्री के संपर्क में लाने में सहायक बनते हैं। यद्यपि कई प्लेटफॉर्म सुरक्षा

उपाय अपनाते हैं, परंतु उनका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।[13]

- **बच्चों की मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलता–** बालक मानसिक एवं भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होते हैं। स्वीकृति की इच्छा, जिज्ञासा, भय और आत्म–विश्वास की कमी उन्हें साइबर अपराधियों के प्रभाव में आसानी से ला सकती है। साइबर बुलिंग या ऑनलाइन शोषण का शिकार होने पर बच्चे प्रायः भय या लज्जा के कारण अपनी समस्या किसी से साझा नहीं कर पाते, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। यह संवेदनशीलता साइबर अपराधों के सामाजिक प्रभाव को और अधिक गंभीर बना देती है।[14]

(5) विधिक दृष्टिकोण

बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों की गंभीरता को देखते हुए भारत में एक बहुस्तरीय विधिक ढाँचा विकसित किया गया है। यह ढाँचा तकनीकी अपराधों के नियंत्रण के साथ–साथ बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक संरक्षण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। प्रमुख विधिक प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000–** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत में साइबर अपराधों से निपटने हेतु मूल कानून है। यह अधिनियम कंप्यूटर, इंटरनेट तथा डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग को नियंत्रित करता है। बालकों के संदर्भ में यह अधिनियम विशेष रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण एवं ऑनलाइन प्रसार पर रोक लगाता है। अधिनियम की कुछ धाराएँ बच्चों को साइबर अश्लीलता, साइबर स्टॉकिंग एवं ऑनलाइन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।[15]

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भारत में साइबर अपराधों से निपटने का प्रमुख विधिक आधार है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडनीय अपराध घोषित करती है इसके सम्बन्ध में यदि व्यक्ति प्रथम बार दोषसिद्ध होता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास एवं 5 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि व्यक्ति दूसरी बार दोषसिद्ध होता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास एवं 10लाख रूप्ये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 67क यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशन और प्रसारण पर कठोर दंड का प्रावधान करती है जिसके अर्न्तगत यदि व्यक्ति प्रथम बार दोषसिद्ध होता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास एवं 10 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि व्यक्ति दूसरी बार दोषसिद्ध होता है तो उसको 7 वर्ष का कारावास एवं 10 लाख रूप्ये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विशेष रूप से, धारा 67ख बालकों से संबंधित अश्लील सामग्री के निर्माण, संग्रहण, ब्राउज़िंग एवं प्रसार को अपराध मानती है और इसके लिए सख्त दंड निर्धारित करती है, जिसके अनुसार यदि व्यक्ति प्रथम बार दोषसिद्ध होता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास एवं 10 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि व्यक्ति दूसरी बार दोषसिद्ध होता है तो उसको 7 वर्ष का कारावास एवं 10 लाख रूप्ये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य बालकों को साइबर अश्लीलता,

ऑनलाइन यौन शोषण और नैतिक क्षति से संरक्षण प्रदान करना है। इस प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण विधिक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

- **बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम)–** पॉक्सो अधिनियम, 2012 विशेष रूप से बालकों के विरुद्ध यौन अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। डिजिटल युग में इस अधिनियम का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा होने वाले यौन शोषण, अश्लील सामग्री के निर्माण एवं प्रसार को भी इसके अंतर्गत अपराध माना गया है। यह अधिनियम बालक–हितैषी प्रक्रिया अपनाने तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने पर बल देता है।[16] बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) का उद्देश्य बालकों को लैंगिक शोषण एवं उत्पीड़न से प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है। डिजिटल युग में यह अधिनियम साइबर माध्यमों से किए जाने वाले लैंगिक अपराधों पर भी समान रूप से लागू होता है। अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से बालकों के साथ किए गए यौन शोषण को अपराध माना गया है।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा एवं तरीको को समझाया गया है एवं 12 ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, अश्लील संदेश भेजना, यौन आशय से संवाद करना तथा डिजिटल माध्यमों से बालक की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाती हैं, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय किया जा सकता है।[17] धारा 13 एवं 14 के अंतर्गत बाल अश्लील सामग्री का उपयोग, निर्माण, संग्रहण एवं ऑनलाइन प्रसार एक गंभीर अपराध है, जिसके अर्न्तगत प्रथम बार दोषसिद्ध होने पर कम से कम 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय किया जा सकता है एवं द्वितीय बार दोषसिद्ध होने पर कम से कम 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय किया जा सकता है।[18] इसके अतिरिक्त, धारा 9 एवं 10 गंभीर लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में साइबर माध्यमों से किए गए अपराधों को भी सम्मिलित करती हैं, जिसके अर्न्तगत कम से कम 5 वर्ष का कारावास एवं अधिकतम 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय किया जा सकता है।[19]

- **भारतीय दंड संहिता, 1860 की प्रासंगिक धाराएँ–** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की कई धाराएँ बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर लागू होती थी। इनमें आपराधिक धमकी, मानहानि, अश्लील कृत्य, धोखाधड़ी तथा यौन अपराधों से संबंधित प्रावधान सम्मिलित थी। डिजिटल माध्यम से किए गए अपराधों को भी पारंपरिक अपराधों के समान दंडनीय मानते हुए आईपीसी की धाराएँ लागू की जाती रही हैं।[20]

धारा 292 एवं 293 अश्लील सामग्री के प्रकाशन, वितरण एवं प्रदर्शन को अपराध घोषित करती थी। जब ऐसी सामग्री बालकों से संबंधित हो, तो अपराध की गंभीरता और अधिक बढ़ जाती है, इस सम्बन्ध में धारा 292 के अनुसार प्रथम दोषसिद्धि पर 2 वर्ष तक का कारावास एवं 2000 रूप्ये तक के जुर्माने का प्रावधान था एवं द्वितीय दोषसिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास एवं 5000

रूप्ये तक के जुर्माने का प्रावधान था। धारा 293 के अनुसार प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष तक का कारावास एवं 2000 रूप्ये तक के जुर्माने का प्रावधान था एवं द्वितीय दोषसिद्धि पर 7 वर्ष तक का कारावास एवं 5000 रूप्ये तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसी प्रकार धारा 354क एवं 354ख के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यमों से किया गया यौन उत्पीड़न एवं पीछा करना (साइबर स्टॉकिंग) दंडनीय माना गया था।[21]

धारा 354क की उपधारा i,ii,iii के कोई कृत्य करता था जैसे कि शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों, या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने, या किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने जैसा कृत्य करता था तो उसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकता था या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता था।

धारा 354ख के अनुसार जो कोई शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों, या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने का कृत्य करता था तो उसे दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकता था या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जा सकता था।

इसके अतिरिक्त, धारा 499 एवं 500 मानहानि से संबंधित हैं, जिनका प्रयोग सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल मंचों पर बालकों की छवि को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्यों पर किया जाता था,[22] जिसमे धारा 500 के अनुसार 2वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाता था।[23] धारा 503 एवं 506 के अंतर्गत ई–मेल, मैसेजिंग ऐप्स अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई आपराधिक धमकियाँ दंडनीय अपराध हैं।[24] धारा 506 के अनुसार आपराधिक अभित्रास के लिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाता था। और यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की धमकी दी जाए कि उससे मृत्यु, गंभीर चोट, आग लगाकर संपत्ति नष्ट करने, या ऐसे अपराध करने की बात कही जाए जिनके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष तक की कैद का प्रावधान है, तो वह अपराध माना जाता था। इसी प्रकार, यदि किसी स्त्री के चरित्र पर झूठा और अपमानजनक आरोप लगाने की धमकी दी जाती है, तो वह भी दंडनीय था। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को सात वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता था।[25]

साथ ही, धारा 417 एवं 420 धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जिनका प्रयोग बालकों की पहचान चोरी या ऑनलाइन छल से जुड़े मामलों में किया जाता है। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता, 1860 बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने हेतु एक सहायक और महत्वपूर्ण विधिक आधार प्रदान करती है।[26]

- **भारतीय न्याय संहिता, 2023–** भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने दंडात्मक विधि को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। इसमें तकनीक आधारित अपराधों और बालकों के विरुद्ध किए गए अपराधों को अधिक स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया है। यह संहिता अपराध की प्रकृति और उसके सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दंड व्यवस्था को अधिक तार्किक एवं प्रभावी बनाती है, जिससे

साइबर अपराधों पर नियंत्रण की संभावना सुदृढ़ होती है।[27]

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137 के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण जो कोई किसी अप्राप्तवय को ले जाता है, तो यह माना जाता है कि बालक का व्यपहरण हुआ है। ये अपराध भी आजकल यह ऑनलाइन एप्स एवं बेबसाइटस के द्वारा भी बच्चों को बहकाकर ले जाते है इसलिए इनको साईबर अपराध में शामिल कर सकते है। इसके बी.एन.एस, 2023 की धारा 137(2) के अनुसार 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना लगाया जा सकत है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 75 के तहत जब किसी स्त्री से जो 18 वर्ष से कम आयु की है, लैंगिक सम्भोग उसकी सम्मति से या सम्मति के बिना हो तो वह बालात्संग कहा जाएगा जिसके लिए धारा 75(1) की उपधारा (i),(ii),(iii) के अन्र्तगत 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने के प्रावधान है वही 75(1) की उपधारा (iv) के अन्र्तगत 1वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 87 के अनुसार जो कोई 18 वर्ष से कम उम्र की अप्राप्तवय लड़की10 को सम्भोग करने के आशय से बिलुब्ध करता है या विवश करता है। यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141(ख) के तहत जब कोई 21 वर्ष से कम आयु की लड़की को भारत से बाहर किसी देश में आयात करेगा, वह इस अधिनियम के अधीन अपराध करता है, तो उसको 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। संहिता की धारा 98 के अनुसार वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए किसी शिशु या 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को बेचना अपराध है इसके लिए उसको 10 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। धारा 99 के अनुसार के अनुसार वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए किसी शिशु या 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को खरीदना अपराध है, इसके लिए उसको कम से कम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। धारा 318(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छल करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। धारा 318(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छल करता है तो उसको 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।धारा 318(4) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छल करता है तो उसको 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। धारा 351(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है तो उसको धारा 351(2) के अनुसार 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। धारा 351(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को धमकी देकर उस पर एवं उसके अस्तित्व पर लांछन लगाकर उसे आजीवन कारवास, मृत्युदण्ड, या 7 वर्ष के कारावास दण्डित करवाने जैसा आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है तो उसको धारा 351(3) के अनुसार 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। धारा 356(1) में परिभाषित मानहानि के अपराध को करने में इन्टरनेट एवं इन्टरनेट से जुड़े हुए यंत्रों

के द्वारा व्यक्तियों के प्रति अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। जिसके लिए धारा 356(2), 356(3) एवं 356(4) के अनुसार 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

- **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीतियाँ–** कानूनों के अतिरिक्त, केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नीतियाँ और दिशानिर्देश भी लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य बालकों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साइबर अपराध सेल, चाइल्ड हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल तथा डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम इन नीतियों का अभिन्न अंग हैं। ये पहलें विधिक प्रावधानों को व्यवहारिक स्तर पर प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं।[28]

(6) विधिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन

बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने हेतु भारत में विविध विधिक प्रावधान उपलब्ध हैं, किंतु उनकी प्रभावशीलता का वास्तविक मूल्यांकन प्रवर्तन, जांच तथा न्यायिक व्याख्या के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

- **प्रवर्तन तंत्र की चुनौतियाँ–** साइबर अपराधों के मामलों में प्रवर्तन तंत्र के समक्ष अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। पुलिस एवं जांच एजेंसियों में तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव, सीमित संसाधन तथा साइबर अपराधों की सीमा–पार प्रकृति प्रभावी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करती है। कई मामलों में बालकों के अभिभावक सामाजिक भय या बदनामी के कारण शिकायत दर्ज कराने से भी हिचकते हैं, जिससे अपराध छिपे रह जाते हैं।[29]

- **जांच और साक्ष्य–संग्रह की सीमाएँ–** साइबर अपराधों में साक्ष्य प्रायः डिजिटल रूप में होते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना और न्यायालय में प्रमाणित करना एक जटिल प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के शीघ्र नष्ट हो जाने, डेटा एन्क्रिप्शन तथा विदेशी सर्वरों पर संग्रहित सूचनाओं तक पहुँच न होने के कारण जांच प्रभावित होती है। ***अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर प्रकरण*** [30] में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की वैधानिक स्वीकृति के लिए प्रक्रिया का स्पष्ट निर्धारण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी त्रुटियाँ न्याय में बाधा बन सकती हैं।[31]

- **न्यायिक दृष्टांत (प्रासंगिक केस लॉ)–** भारतीय न्यायपालिका ने बालकों के संरक्षण के संदर्भ में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। ***श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ*** [32] मामले में न्यायालय ने ऑनलाइन अभिव्यक्ति और दुरुपयोग के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।[33] वहीं, ***अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ*** [34] प्रकरण में बाल अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसार को रोकने हेतु सरकार की जिम्मेदारी को रेखांकित किया गया।[35] ये निर्णय दर्शाते हैं कि न्यायपालिका साइबर अपराधों के सामाजिक प्रभावों को समझते हुए विधिक प्रावधानों की व्याख्या कर रही है।

इस प्रकार, यद्यपि विधिक ढाँचा सुदृढ़ है, किंतु उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सशक्तिकरण, जागरूकता तथा न्यायिक सक्रियता को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

(7) बाल संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

डिजिटल युग में बालकों के विरुद्ध साइबर अपराध एक वैश्विक समस्या के रूप में उभरे हैं। इंटरनेट की सीमा–रहित प्रकृति के कारण किसी एक देश का कानून पर्याप्त नहीं होता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाल

संरक्षण हेतु साझा मानदंडों और सहयोगात्मक तंत्र का विकास किया गया है। इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और विभिन्न देशों के विधिक मॉडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **अंतरराष्ट्रीय संधियाँ एवं मानदंड–** बाल संरक्षण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि, 1989 (यू.एन.सी.आर.सी.) सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज मानी जाती है। यह संधि बालकों को शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा से मुक्त वातावरण प्रदान करने पर बल देती है। डिजिटल संदर्भ में यह राज्यों को यह दायित्व सौंपती है कि वे बच्चों को ऑनलाइन शोषण, अश्लील सामग्री और अवैध डिजिटल गतिविधियों से सुरक्षित रखें। इसके अतिरिक्त, लैंजारोट कन्वेंशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश बाल यौन शोषण और साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय सुझाते हैं।[36]
- **प्रमुख वैश्विक मॉडल एवं तुलनात्मक विश्लेषण–** विकसित देशों में बालकों के साइबर संरक्षण हेतु विशेष कानूनी और संस्थागत ढाँचे विकसित किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में चिल्र्डन ऑनलाइन प्राईवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (COPPA) बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करता है, जबकि यूरोपीय संघ में जी.डी.पी.आर. के माध्यम से बच्चों के डेटा संरक्षण पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन देशों में तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, अभिभावकीय नियंत्रण और डिजिटल साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारतीय विधिक व्यवस्था की तुलना में ये मॉडल अधिक तकनीक–केंद्रित और निवारक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कानूनों और नीतियों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।[37]

(8) चुनौतियाँ एवं प्रमुख समस्याएँ

बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों की समस्या केवल विधिक प्रावधानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ अनेक तकनीकी, सामाजिक और कानूनी चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। डिजिटल तकनीक के तीव्र विकास के कारण अपराधों के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, जिससे नियंत्रण और संरक्षण की प्रक्रिया जटिल बनती जा रही है।

- **तकनीकी, सामाजिक और कानूनी अवरोध–** तकनीकी स्तर पर एन्क्रिप्शन, फर्जी पहचान, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तथा विदेशी सर्वरों का उपयोग साइबर अपराधियों को पकड़ने में बाधा उत्पन्न करता है। सामाजिक दृष्टि से अभिभावकों और शिक्षकों में डिजिटल जागरूकता की कमी तथा सामाजिक कलंक के भय के कारण अपराधों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। वहीं, कानूनी स्तर पर जांच एजेंसियों की सीमित तकनीकी क्षमता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जटिलता और लंबी न्यायिक प्रक्रिया बाल संरक्षण में अवरोध बनती है।[38]
- पीड़ित बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता के मुद्दे– साइबर अपराधों में पीड़ित बालकों की पहचान और गोपनीयता एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। न्यायिक प्रक्रिया या मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान पहचान उजागर होने की आशंका बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यद्यपि कानून गोपनीयता की रक्षा का प्रावधान करता है, फिर भी व्यवहार में इन नियमों का पूर्णतः पालन नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप पीड़ित बच्चे दोहरे

आघात का शिकार होते हैंकृएक अपराध से और दूसरा सामाजिक प्रतिक्रिया से।[39]

इन चुनौतियों से स्पष्ट है कि बाल संरक्षण के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि तकनीकी सशक्तिकरण, सामाजिक संवेदनशीलता और गोपनीयता–केंद्रित दृष्टिकोण की भी समान रूप से आवश्यकता है।

(9) विश्लेषण एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध "बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधः एक सामाजिक–विधिक अध्ययन" के अंतर्गत संकलित तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं सामाजिक परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं–

- अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने बालकों के सामाजिक व्यवहार और जीवन–शैली को गहराई से प्रभावित किया है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अनियंत्रित उपयोग बालकों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण एवं मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहा है। पारिवारिक निगरानी की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव और सामाजिक संवाद में कमी इन अपराधों की वृद्धि के प्रमुख सामाजिक कारण के रूप में सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक भय और बदनामी की आशंका के कारण अनेक मामलों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती, जिससे समस्या की वास्तविक गंभीरता छिपी रह जाती है।
- विधिक दृष्टि से भारत में बालकों के संरक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम तथा अन्य दंडात्मक प्रावधान पर्याप्त प्रतीत होते हैं। न्यायपालिका ने भी समय–समय पर संवेदनशील एवं प्रगतिशील व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। तथापि, प्रवर्तन तंत्र की सीमाएँ, तकनीकी संसाधनों की कमी तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया विधिक ढाँचे की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कानूनों की सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता और संस्थागत समन्वय पर निर्भर करती है।

(10) उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालकों के विरुद्ध साइबर अपराध बहुआयामी और जटिल स्वरूप में विद्यमान हैं। इनसे प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केवल विधिक प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, अभिभावकीय निगरानी, शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भूमिका एवं डिजिटल साक्षरता का विकास भी अत्यंत आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध पत्र से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल तकनीक के तीव्र विकास ने जहाँ बालकों के ज्ञान, अभिव्यक्ति और अवसरों का विस्तार किया है, वहीं उन्हें अनेक गंभीर साइबर जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, पहचान चोरी तथा हानिकारक डिजिटल सामग्री जैसे अपराध न केवल बालकों की शारीरिक सुरक्षा, बल्कि उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता तथा विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से बालकों के संरक्षण हेतु एक सुदृढ़ विधिक ढाँचा उपलब्ध है। तथापि, इन कानूनों की प्रभावशीलता उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता और सामाजिक जागरूकता पर

निर्भर करती है।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि बालकों के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विधिक उपायों के साथ–साथ पारिवारिक सहभागिता, शैक्षणिक हस्तक्षेप, डिजिटल साक्षरता और संस्थागत समन्वय को समान रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है। एक समग्र और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर ही बालकों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

संदर्भः

[1] सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012; तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएँ बच्चों के विरुद्ध साईबर अपराधों से निपटने के लिए विधिक ढाँचा प्रदान करती हैं।
[2] पवन दुग्गलः साइबर लॉ इन इंडिया, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2019, पे. 42।
[3] विवेक सूदः साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और जांच, यूनिवर्सल प्रकाशन, 2018, पे. 118।
[4] बैरी कार्टर एवं ऐलन पेज, द लॉ ऑफ साईबर क्राइम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2016, पे. 97।
[5] परास दीक्षितः इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी एण्ड साईबर सिक्योंरिटी, सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी, 2020, पृ. 134।
[6] एस. के. वर्माः साइबर अपराध और विधि, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली, 2018, पृ. 112।
[7] जोनाथन बिशपः साइबर मनोविज्ञान और नवीन मीडियाः एक विषयगत पाठक, साइकोलॉजी प्रेस, लंदन, 2013, पृ. 86।
[8] दुर्गा दास बसुः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर टीका, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 245।
[9] पी. नारायणनः सूचना प्रौद्योगिकी का विधि, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2019, पृ. 178।
[10] सुसान डब्ल्यू. ब्रेनरः साइबर अपराधः साइबर स्पेस से आपराधिक खतरे, प्रेगर पब्लिशर्स, वेस्टपोर्ट, 2010, पृ. 201।
[11] एम. पी. जैन, भारत में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2014, पृ. 97।
[12] पी. नारायणन, सूचना प्रौद्योगिकी का विधि, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2019, पृ. 64।
[13] सुसान डब्ल्यू. ब्रेनरः साइबर अपराधरू साइबर स्पेस से आपराधिक खतरे, प्रेगर पब्लिशर्स, वेस्टपोर्ट, 2010, पृ. 153।
[14] जोनाथन बिशपः साइबर मनोविज्ञान और नवीन मीडियाः एक विषयगत पाठक, साइकोलॉजी प्रेस, लंदन, 2013, पृ. 41।
[15] दुर्गा दास बसुः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर टीका, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 132।
[16] के. आई. व्यासः बाल अधिकार एवं पॉक्सो अधिनियम, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली, 2018, पृ. 89।
[17] धारा 11 एवं 12: बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012।
[18] धारा 13 एवं 14: बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012।
[19] धारा 10: बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012।
[20] आर. सी. नागपालः भारतीय दंड संहिता, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2017, पृ. 214।
[21] धारा 354क एवं 354खः भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
[22] धारा 499 एवं 500: मानहानि, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
[23] धारा 500: मानहानि, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
[24] धारा 503 एवं 506: मानहानि, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
[25] धारा 506: मानहानि, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
[26] धारा 417 एवं 420: धोकाधड़ी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860।
[27] अवतार सिंहः भारतीय न्याय संहिता, 2023रू एक विश्लेषण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली, 2024, पृ. 56।
[28] एस. एन. मिश्राः भारत में साइबर विधि एवं नीति, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2020, पृ. 173।
[29] पी. नारायणनः सूचना प्रौद्योगिकी का विधि, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2019, पृ. 221।
[30] (2014) 10 SCC 473 : AIR 2015 SC 180
[31] के. डी. गौड़ः भारतीय दंड प्रक्रिया एवं साक्ष्य विधि, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली, 2018, पृ. 367।
[32] (2015) 5 SCC 1 : AIR 2015 SC 1523
[33] दुर्गा दास बसुः संवैधानिक विधि ऑफ इंडिया, लेक्सिसनेक्सिस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 548।
[34] (2018) 17 SCC 291
[35] सुसान डब्ल्यू. ब्रेनरः साइबर अपराधरू साइबर स्पेस से आपराधिक खतरे, प्रेगर पब्लिशर्स, वेस्टपोर्ट, 2010, पृ. 189।
[36] जेराल्डीन वैन ब्यूरेनः बाल अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय विधि, मार्टिनस नाइहॉफ पब्लिशर्स, द हेग, 1995, पृ. 132।
[37] सुसान डब्ल्यू. ब्रेनरः साइबर अपराधः साइबर स्पेस से आपराधिक खतरे, प्रेगर पब्लिशर्स, वेस्टपोर्ट, 2010, पृ. 189।
[38] पी. नारायणनः सूचना प्रौद्योगिकी का विधि, ईस्टर्न बुक कंपनी, लखनऊ, 2019, पृ. 248।
[39] जेराल्डीन वैन ब्यूरेनः बाल अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय विधि, मार्टिनस नाइहॉफ पब्लिशर्स, द हेग, 1995, पृ. 176।

****